GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 11, 2026

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-78 dated 10.07.2024, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty chargeable on the assignment deed, by whatever name called, executed by the person who is eligible to get lease deed from local authority under sub-rule (3) of rule 11 or sub-rule (1) of rule 19 of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 for the purpose of assigning or transferring his right in favour of another person to get the lease deed, shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty
1	2	3
1.	Any instrument of the nature of assignment in respect of the land relating to plotted project approved under the prevalent Township Policy of the State Government	Rupees five hundred on every such instrument.
2.	Any instrument of the nature of assignment in respect of the land relating to Group Housing Project under the prevalent Township Policy of the State Government	5% on the market value of the property in respect of which assignment deed is executed.
3.	Any instrument of the nature of assignment in respect of the land where single patta is issued by the Urban Local Bodies under the prevalent Township Policy of the State Government or otherwise	5% on the market value of the property in respect of which assignment deed is executed.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-127]
By order of the Governor,

(Nathmal Didel)
Special Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 11, 2026

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2024-78 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी व्यक्ति, जो राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति एवं आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप-नियम (3) या नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी से पट्टा विलेख प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त करने के अपने अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन या अंतरण के प्रयोजन के लिए निष्पादित समनुदेशन विलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	**लिखत का विवरण**	**स्टाम्प शुल्क**
1	2	3
1.	राज्य सरकार की विद्यमान टाउनशिप पालिसी के अधीन अनुमोदित प्लाटेड परियोजना से संबधित भूमि के संबंध में समनुदेशन की प्रकृति की कोई लिखत	ऐसी प्रत्येक लिखत पर पांच सौ रुपये।
2.	राज्य सरकार की विद्यमान टाउनशिप पालिसी के अधीन सामूहिक आवासन परियोजना से संबधित भूमि के संबंध में समनुदेशन की प्रकृति की कोई लिखत	संपत्ति, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत।
3.	भूमि के संबंध में समनुदेशन की प्रकृति की कोई लिखत जहां नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार की विद्यमान टाउनशिप पालिसी के अधीन या अन्यथा एकल पट्टा जारी किया गया है	संपत्ति, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-127]
राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव।